असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक असुरक्षा और चुनौतियाँ: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

नसरीन कौसर

शोध-छात्रा, स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया

शोध-सार

प्रस्तुत शोध-पत्र 'असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक असुरक्षा और चुनौतियाँ' पर आधारित है। देश की बढ़ती आवादी और आर्थिक संकट के चलते आज पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी घर की चहारदिवारी से निकलने को विवश कर दिया है। आज पुरुषों के समान महिलाएँ भी सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों में काम करने लगी हैं। हर क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी होने से विकास की गति में बदलाव के साथ-साथ इनमें आत्मनिर्भरता बढ़ी है और वे वेहिचक काम कर रही है। खासकर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कम पढ़ी-लिखी महिलाएँ असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही हैं।

शब्द कुंजी : असंगठित, सामाजिक असुरक्षा, रोजगार, चुनौतियाँ।

भूमिका:

आज पूरे देश के निर्माण कार्यों में सबसे अधिक भागीदारी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले पुरुष और महिलाओं की है। भारत जैसे विशाल देश में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का यहाँ की अर्थव्यवस्था में 50 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी है। जबकि असंगठित क्षेत्र के लोगों का कुल कार्यशक्ति 80 प्रतिशत के करीब है। भारत का असंगठित क्षेत्र मूलत: ग्रामीण आबादी से जुड़ा है और इसमें अधिकांशत: वैसे लोग हैं जो पूर्णत: गाँव के परम्परागत खेती-बाड़ी के कार्यों से जुड़े हैं।

अक्सर यह देखा गया है कि गाँवों में परम्परागत कार्य करने वालों के अलावा भूमिहीन किसान और छोटे किसान भी इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। जबकि शहरों में रह रहे असंगठित लोग अधिकांशत: खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग से जुड़े हैं। इसमें अधिकांशत: ऐसे लोग हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय गाँवों में चले जाते हैं और शेष बाकी समय शहरों-महानगरों में काम करने के लिये आजीविका तलाशते हैं। भारत में करीब 50 करोड़ का कार्य क्षमता है जिसका 90 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र से जुड़ा है। इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक 1948 के फैक्ट्री अधिनियम जैसे किसी कानून के तहत नहीं आते हैं।[1]

भारत सरकार के श्रम-मंत्रालय ने असंगठित श्रम शक्ति को व्यवसाय, रोजगार की प्रकृति, विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी और सेवा श्रेणी ये चार भागों में विभाजित हैं[2] :-

1. **व्यावसायिक श्रेणी :** इस श्रेणी के अन्तर्गत छोटे और सीमांत किसान भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, पशुपालक, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, बुनकर आदि व्यवसाय से जुड़े लोग चाहे वह पुरुष या महिला ही क्यों न हो?

2. **रोजगार की प्रकृति श्रेणी** : इस श्रेणी के

तहत बंधुआ मजदूर (बेगारी करने वाला), प्रवासी मजदूर और दैनिक-भोगी मजदूर आते हैं।

3. विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी के तहत सफाईकर्मी, सिर पर मैला ढोने वाले आदि आते हैं।

4. सेवा श्रेणी के अन्तर्गत घरेलू कामगार, महिलाएँ, नाई, सब्जी और फल विक्रेता, समाचार-पत्र विक्रेता आदि आते हैं।

क्या है असंगठित क्षेत्र की प्रमुख समस्याएँ?

उपरोक्त श्रेणियों के तहत काम करने वाले लोगों (महिला और पुरुष) की मजदूरी, और रहन-सहन को लेकर हमारे सामने ऐसे कई समस्याएँ उभर आये हैं जिसका निष्पक्ष और सही निदान जब तक नहीं किया जाएगा तब तक इन असंगठित क्षेत्रों के बारे में कुछ भी कहना बेमानी होगा।

(क) **बेहद कम आमदनी :** असंगठित क्षेत्र में कामगारों की आय संगठित क्षेत्र की तुलना में न केवल कम है वरन् इस मजदूरी से परिवार का लालन-पालन करना भी कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर कृषि और निर्माण क्षेत्रों में सालों भर काम नहीं रहने की वजह से वार्षिक आय और भी कम हो जाती है। यहाँ तक कि इन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले महिला या पुरुष को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है, जो कि इन कामगारों के लिए आवश्यक है। इसलिए न्यूनतम मजदूरी दरों से भी कम कीमतों पर ये कामगार अपना श्रम बेचने को तैयार रहते हैं। हालांकि हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी की दरें वैश्विक मानकों की तुलना में काफी कम है।

(ख) **अस्थायी रोजगार :** असंगठित क्षेत्र में रोजगार की गारंटी नहीं होने के कारण रोजगार का स्वरूप अस्थायी होता है, जो इस क्षेत्र में लगे कामगारों को हतोत्साहित करता है। रोजगार की स्थिरता नहीं होने के कारण इनमें मनोरोग या अवसाद होने का डर बना रहता है। यह स्थिति संगठित कामगारों के साथ भी होता जब प्रतिकूल स्थितियाँ उनके सामने होती है। इनके पास विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ तक भी नहीं पहुँच पाता है। इतना ही नहीं बल्कि इससे जुड़े बिचौलियों और नियोक्ताओं द्वारा भी असंगठित क्षेत्रों के लोगों को उपेक्षा की नजर से देखते हैं।

(ग) **श्रम कानूनों के तहत नहीं आते :** अधिकतर ऐसा देखा गया है कि असंगठित कामगार ऐसे उद्यमों में काम करते हैं जहाँ श्रमिक कानून (Labour Law) लागू नहीं होते हैं। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि इनकी कार्य की दशा और दिशा के विषय में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। इन स्थितियों के चलते असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों पर इसका सीधा दबाव पड़ता है; जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

(घ) **खतरनाक उद्यमों में सुरक्षा का अभाव :** प्रस्तुत शोध के तहत यह पता लगाया गया है कि अधिकांशत: बाल श्रम, महिलाओं के साथ अन्याय की सीमा तक असमानता और उनका शारीरिक, मानसिक तथा यौन-शोषण करना साधारण सी बात है। असंगठित क्षेत्रों में कई ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ स्वास्थ्य का कोई विशेष ख्याल नहीं रखा जाता है। यह मसला आज भी एक चुनौती के रूप में हम सबों के समक्ष है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े माचिस के कारखाने में काम करने वाले, कीमती पत्थरों पर पॉलिश करने वाले, कांच उद्योग में काम करने वाले, हीरा तरासने वाले, कबाड़ बीनने वाले, पीतल और कांसे के बर्त्तन बनाने वाले तथा आतिशबाजी बनाने वाले उद्यमों में बड़ी संख्या में बाल श्रमिक काम करते हैं। वे खतरनाक और विषाक्त रसायनों तथा जहरीले धुएँ आदि के संपर्क में आकर श्वांस संबंधी बीमारियों, दमा, आँखें में जलन, तपेदिक, कैंसर आदि जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए ऐसे तमाम असंगठित श्रेणियों में काम करने वाले महिला व पुरुष के लिए स्वास्थ्य

संबंधी देख रेख के लिए स्वास्थ्य सेवा से जोड़कर रखना आवश्यक है ताकि जरूरत पड़ने पर पीड़ित लोग का ईलाज हो सके।

(ङ) असंगठित क्षेत्र में बढ़ती हुई जटिल आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था: आज जटिल आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था के बढ़ने से इन कामगारों का दैनिक जीवन काफी उथल-पुथल हो गया है। घर में ही न पति को पत्नी के साथ समय बिताने का मौका है और न ही बच्चों के साथ। उनका जीवन एक पंक्षी की भाँति दिनभर विचरण करने के बाद शाम के वक्त घोंसले में आ जाना। ऐसा ही जीवन असंगठित व संगठित क्षेत्र में काम करने वालों का भी हो गया है। घर अब घर नहीं रह गया है। यह मात्र एक के बसेरा बनकर रह गया है। आय और व्यय के बीच की असंगति ने इनकी आर्थिक स्थितियों को बेहद खराब कर दिया है। इसलिए सरकार समय-समय पर अपनी योजनाओं के माध्यम से इन तमाम समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है; ताकि इन असंगठित क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों में आर्थिक व सामाजिक स्थिति में बदलाव लाया जा सके।

1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों को लाभान्वित करने की योजना बनायी है। भारत सरकार ने अपने 2019-20 के अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए खासतौर से योजनाएँ बनायी है। इसमें वैसे असंगठित क्षेत्र के कामगार जिनका मासिक आय 15 हजार रुपये तक है उन्हें 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना' के साथ जोड़कर लाभान्वित करने की बात कही है।

2. इस योजना के अन्तर्गत ऐसे असंगठित कामगारों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने का प्रस्ताव है।

3. इस पेंशन योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगार एक छोटी सी राशि के मासिक अंशदान से 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन पा सकते हैं।

4. इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र वाले कामगारों को प्रारंभिक 29 वर्ष की आयु से 60 वर्ष की आयु तक मात्र प्रतिमाह 100 रू. ही अंशदान के रूप में देना है। यही जमा राशि 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रू. पेंशन के रूप में मिलेगा।

5. वैसे असंगठित कामगार महिला या पुरुष कोई भी 18 वर्ष की आयु में इस पेंशन योजना में शामिल होते हैं तो उन्हें सिर्फ 55 रुपये प्रतिमाह अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

6. इस योजना के तहत सरकार भी प्रत्येक महीने कामगार के पेंशन के खाते में इतनी ही राशि जमा करेगी।

7. ऐसी संभावना है कि अगले पाँच वर्षों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा महिला एवं पुरुषों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक तरह से यह कहा जाय कि सरकार ने इस असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भविष्य को सुरक्षित करने की बात सोची है। आने वाले दिनों में यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक बन जाएगी। यह एक कल्याणकारी योजना है।

8. इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की है और यह तत्काल प्रभाव से 15 फरवरी 2020 से लागू कर दिया गया है।

उपरोक्त लाभकारी योजनाओं के बाद भी आज इन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले महिलाओं के साथ सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। यह घोर चिंता का विषय है। इस क्षेत्र से जुड़े लोगों में

आजीविका असुरक्षा, बाल-श्रम, मातृत्व (मैटरनिटी) सुरक्षा, छोटे बच्चों की देख-रेख, आवास, पेयजल, सफाई, अवकाश से जुड़े लाभ और न्यूनतम मजदूरी जैसे मुद्दे उनके समक्ष महत्वपूर्ण हैं। साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ में सबसे बड़ी बाधा यह है कि सरकार ने ऐसे लोगों को अभी तक चिन्हित नहीं कर पायी है कि इसकी संख्या किस क्षेत्र में कितनी हैं। ऐसे में सभी असंगठित कामगारों को लाभ पहुँचाना चुनौती से कम नहीं है।

सरकार की पहल और चुनौतियाँ[4]:

सरकार ने इन असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिये सरकार ने विधायी उपायों और कल्याण योजनाओं की द्विपक्षीय नीति अपनाई है।

कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008:

भारत सरकार ने इन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला एवं पुरुष कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 अधिनियमित किया है। यह अधि नियम राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को कुछ जरूरी व्यवस्थाएँ उपलब्ध करता है। इसके माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के निर्माण, जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था सुरक्षा और भी अन्य लाभ, जो असंगठित कामगारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, उसके लिये अनुशंसाएँ दी जाती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का भी गठन किया गया है।

इतना ही नहीं बल्कि सरकार की कई और भी योजनाएँ हैं जो सीधे तौर पर असंगठित क्षेत्रों से जुड़े लोगों को लाभान्वित करने में सहायक है-

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना: इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले परिवार फ्लोटर आधार पर प्रति वर्ष 40 हजार रूपये की स्मार्ट कार्ड आधारित नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा देने की शुरुआत की गई है।

2. इस क्षेत्र के असंगठित लोगों के लिए सरकार ने मृत्यु एवं विकलांगता पर बीमा प्रदान किया है। यह बीमा 'आम आदमी बीमा योजना' के नाम से लोकप्रिय है।

3. साथ ही इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का भी कार्यान्वयन सरकार कर रही है।

4. असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये कई अन्य रोजगार सृजन कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सरकार लागू कर रही है, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी योजना, रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मनरेगा, हथकरघा बुनकर योजना, हस्तशिल्प कारीगर व्यापक कल्याण योजनाएँ, मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना, प्रशिक्षण और विस्तार, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आदि प्रमुख है।

5. इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने ऐसे असंगठित कामगार जो बीड़ी बनाने एवं गैर-कोयला खान कामगारों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कल्याणकारी निधियाँ स्थापित की है। अन्य कल्याणकारी उपायों के तहत स्वास्थ्य देखभाल, आवास, बच्चों के लिए शैक्षणिक सहायता, शुद्ध पे जल की आपूर्ति इत्यादि को शामिल किया गया है।

संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना[5]:

भारतीय संविधान एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर आधारित है। हमारे संविधान के प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से यह जाहिर है कि हमारा लक्ष्य सामाजिक कल्याण है। यह प्रस्तावना भारतीय नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करने का वादा करती है।

1. असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के कार्य एवं

व्यवसाय के बारे में पता करना और उनकी सुरक्षा के लिए काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है।

2. संविधान में इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कानून बनाये गये हैं ताकि इन्हें न्यूनतम सुरक्षा एवं कल्याण का लाभ मिल सके।

3. साथ ही सरकार जरूरत पड़ने पर इन असंगठित लोगों की सुरक्षा के लिए अपने संविधान के मूल नीतियों को बगैर छेड़छाड़ किये संशोधन की भी बात कर रही है ताकि इन नवीन अनुच्छेद के माध्यम से लाभ मिल सके।

4. इस व्यवस्था से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था का भी सम्मान होगा तथा कई तरह के कामों में लगे मजदूरों की विशेष आवश्यकताएँ भी पूरी हो सकेगी।

5. सीमांत और छोटे किसानों के लिए ऋण का बेहतर प्रबंधन, सिंचाई परियोजनाओं का विकास, फसल जोखिम पर सुरक्षा और तकनीक का विकास असंगठित क्षेत्र के लिये वरदान साबित हो सकता है।

6. गैर-कृषि क्षेत्र में कौशल विकास द्वारा रोजगार के बेहतर अवसर बनाना, सामूहिक विकास केन्द्रों की स्थापना करना, अधिकाधिक लोगों को कौशल विकास योजना से जोड़ना ताकि श्रमिकों को लाभ मिल सके।

7. इतना ही नहीं बल्कि इन असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि ऐसे असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को सरकार की योजनाओं का पता चल सके।

8. संविधान में असंगठित क्षेत्र से जुड़े देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। ऐसे लोग अलग-अलग भागों में कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक ऐसा कानून का होना आवश्यक है ताकि वे अपनी स्मिता को बचा सके।

उपरोक्त संविधान की इन नीतियों के चलते असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को पहले की तुलना में अब सुविधाएँ मिलनी शुरू हो गयी है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार स्पष्ट है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं या श्रमिकों में ज्यादातर को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है और न ही पेंशन या स्वास्थ्य बीमा जैसी कोई सामाजिक सुरक्षा इन्हें मिल पाती है। उन्हें चिकित्सा, देखभाल, दुर्घटना, मुआवजा, वेतन सहित अवकाश और पेंशन योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता। इन स्थितियों में सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये 'समग्र नीति' बनानी चाहिए और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए व्यवस्था में उचित भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार को खासतौर से निर्माण क्षेत्र, घरेलू नौकर एवं दाईयों, मंडियों में काम करने वाले मजदूरों और रेहड़ी-पटरी वालों पर ध्यान देना आवश्यक है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नीति निर्माण में भागीदारी देनी चाहिए और राजस्व में उनकी हिस्सेदारी को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करानी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः

1. श्रीवास्तव, प्रतीक : 'दृष्टि द विजन', फाउंडेशन इंडिया में प्रकाशित आलेख के सौजन्य से
2. भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगारों के सामाजिक सुरक्षा के लिए गए निर्णय पर आधारित
3. भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा पेंशन योजना का प्रावधान। 2019-20 आंतरिक बजट पर आधारित। दैनिक जागरण (संपादकीय)-10.2.2020
4. सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 (भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए)
5. जैन, डॉ० पुखराजः विश्व के प्रमुख संविधान, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा,1988

✦✦✦